सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 41/2012

1. जगतार सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी चक 2 बी.डब्ल्यू. एम.ए. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
2. सेठी सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी चक 2 बी.डब्ल्यू.एम.ए. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. विजय सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति मजहबीसिंख निवासी चक 2 बी.डब्ल्यू.एम. ए. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. जोगेन्द्र सिंह पुत्र बावा सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 20 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री जगमोहन आहूजा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांक :–22.05.2018

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्तकाल नम्बर 119 दिनांक 04.05.2012 गलत खिलाफ कानून वाकेआत होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। इन्तकाल नम्बर 119 पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया ना मिला ना ही बुलाया ना सुना गया ना ही आपत्ति पेश करने का कोई अवसर दिया गया ना मिला ना ही किसी दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश ही मुझे पढने में कभी आया ना ही कार्यवाही इन्तकाल होने का पता चला ना ही किसी प्रकार से अन्य कोई कानुनी प्रकिया पुरी की गई। तथाकथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल करने का लिखा गया इसके बाद की अन्य वसीयत भी होने से व वसीयत सन्देहास्पद होने से फौजदारी मुकदमा भी एफ.आई.आर. नम्बर 473 दिनांक 24.10.2011 से दर्ज हुआ। इस प्रकार से इन्तकाल स्पष्ट ही गलत होने से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13.09. 2011 को दरखास्त नजरसानी मुकदमा नम्बर 04/2011 से दिनांक 14.06.2012 को निरस्त कर दिया। अतः कानूनन जिस आदेश के आधार पर इन्तकाल जेर अपील हुआ वह भी निरस्त होने से इन्तकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है मगर क्योंकि रिकार्ड पर मौजूद है। अतः यह अपील करके निरस्त करवाना जरूरी है। यह है कि इन्तकाल करने से पूर्व ना तो कोई इन्तकाल नियमों की पालना की ,ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूलस की धारा 119 से 126 के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की गई ना मौका देखा ना कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई गई। अतः यही कारण है कि दरखास्त नजरसानी दिनांक 14.06.2012 को स्वीकार की गई है। इस प्रकार इन्तकाल नम्बर 119 जो कि फिसकल एन्ट्री ही है को भी निरस्त करवाना जरूरी हो जाता है। विरास्त इन्तकाल करने का आदेश सही दिया गया व कालान्तर में भी इन्तकाल नम्बर 86 विरास्त इन्तकाल ही किया गया तथा इसको निरस्त करने काक कोई कारण न होना ही निरस्त अदालतवाला से किया

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया है। अतः इन्तकाल सख्या 119 भी निरस्तनीय है। लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 119 दिनांक 04.05.2012 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि इन्तकाल नम्बर 119 दिनांक 04.05.2012 गलत खिलाफ कानून वाकेआत होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। इन्तकाल नम्बर 119 पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया ना मिला ना ही बुलाया ना सुना गया ना ही आपत्ति पेश करने का कोई अवसर दिया गया ना मिला ना ही किसी दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश ही मुझे पढने में कभी आया ना ही कार्यवाही इन्तकाल होने का पता चला ना ही किसी प्रकार से अन्य कोई कानुनी प्रकिया पुरी की गई। तथाकथित वसीयत के आधार पर इन्तकाल करने का लिखा गया इसके बाद की अन्य वसीयत भी होने से व वसीयत सन्देहास्पद होने से फौजदारी मुकदमा भी एफ.आई.आर. नम्बर 473 दिनांक 24.10. 2011 से दर्ज हुआ। इस प्रकार से इन्तकाल स्पष्ट ही गलत होने से तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13.09.2011 को दरखास्त नजरसानी मुकदमा नम्बर 04/2011 से दिनांक 14.06.2012 को निरस्त कर दिया। अतः कानूनन जिस आदेश के आधार पर इन्तकाल जेर अपील हुआ वह भी निरस्त होने से इन्तकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है मगर क्योंकि रिकार्ड पर मौजूद है। अतः यह अपील करके निरस्त करवाना जरूरी है। यह है कि इन्तकाल करने से पूर्व ना तो कोई इन्तकाल नियमों की पालना की ,ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूलस की धारा 119 से 126 के आदेशात्मक प्रावधानो की पालना की गई ना मौका देखा ना कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई गई। अतः यही कारण है कि दरखास्त नजरसानी दिनांक 14.06.2012 को स्वीकार की गई है। इस प्रकार इन्तकाल नम्बर 119 जो कि फिसकल एन्ट्री ही है को भी निरस्त करवाना जरूरी हो जाता है। विरास्त इन्तकाल करने का आदेश सही दिया गया व कालान्तर में भी इन्तकाल नम्बर 86 विरास्त इन्तकाल ही किया गया तथा इसको निरस्त करने काक कोई कारण न होना ही निरस्त अदालतवाला से किया गया है। अतः इन्तकाल सख्या 119 भी निरस्तनीय है। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त , बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 03.04.2013 द्वारा अपील अपीलान्ट निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 14.06.2012 यथावत रखा गया है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 119 दिनांक 04.05.2012 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि जोगिन्द्रसिंह पुत्र बाबा सिंह के नाम चक 2 बीडब्ल्यूएमए में मुरब्बा नम्बर 17 में 2.355 हैक्टर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। जोगिन्दर सिंह ने प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के हक में वसीयत की थी। वसीयत के आधार पर उपरोक्त जमीन का इन्तकाल तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 04.05.2012 हमारे नाम से किया गया है। अतः इन्तकाल नम्बर 119 दिनांक 04.05.2012 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलान्ट के पिता जोगेन्द्र सिंह पुत्र बावा सिंह साकिन 20 पीएस के नाम से चक 2 बी.डब्ल्यू.एम.ए. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नम्बर 295/346 का 6.200 हैक्टर भूमि दर्ज थी जिसे तहसीलदार (भू0अ0) रायसिंहनगर ने अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने पर विरास्त इन्तकाल 86 दिनांक 21.04.2007 को तस्दीक किया गया। इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट ने वसीयत के आधार पर 13.09.2011 को इन्तकाल संख्या 119 दर्ज करवाया गया, जिसके खिलाफ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर में नजरसानी मुकदमा नम्बर 04/2011 दर्ज होने पर दिनांक 14.02.2012 को अपने आदेश दिनांक 13.09.2011 को निरस्त किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर को की गई। सम्भागीय आयुक्त बीकानेर ने अपील संख्या 68/2012 अनवानी सेठीसिंह वगैरा बनाम जगतार सिंह वगैरा में निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 14.06.2012 को यथावत रखा गया। अतः अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर द्वारा तहसीलदार के निर्णय दिनांक 14.06.2012 को यथावत रखे जाने पर तहसीलदार के पूर्व के आदेश से वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल सख्या 119 दिनांक 13.09.2011 निरस्ती योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार करते हुए इन्तकाल सख्या 119 दिनांक 13.09.2011 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।